

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 190/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सांवर मल जाट पुत्र श्री रामकिशन जाट

2. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री सांवर मल जाट

3. श्री भोलूराम जाट पुत्र श्री रामकिशन जाट

निवासीगण:-प्लॉट नम्बर सी-1 व सी-2, जगदीशपुरी तृतीय, बिन्दायका के पास, सिरसी रोड़, जिला जयपुर।

4. श्री शीश पाल सिंह पुत्र श्री भूर सिंह

निवासी:-प्लॉट नम्बर 334, मन्नु एन्क्लेव द्वितीय विजयपुरावास, बी-ब्लॉक, सिरसी रोड़, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.



इपस्थित श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 17.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.11.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी भोलूराम पुत्र रामकिशन जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-1 जगदीशपुरी तृतीय, बिन्दायका के पास, सिरसी रोड़, जिला जयपुर (क्षेत्रफल 521.33 वर्गगज) व श्री सांवर मल जाट पुत्र श्री रामकिशन जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-2 जगदीशपुरी तृतीय, बिन्दायका के पास, सिरसी रोड़, जिला जयपुर (क्षेत्रफल 521.33 वर्गगज) को बन्धक रख कर 15,25,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,25,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 17,71,057/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी भोलूराम पुत्र रामकिशन जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-1 जगदीशपुरी तृतीय, बिन्दायका के पास, सिरसी रोड़, जिला जयपुर (क्षेत्रफल 521.33 वर्गगज) व श्री सांवर मल जाट पुत्र श्री रामकिशन जाट के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-2 जगदीशपुरी तृतीय, बिन्दायका के पास, सिरसी रोड़, जिला जयपुर (क्षेत्रफल 521.33 वर्गगज) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



8. आदेश आज दिनांक 17.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/12/2020  
(अन्तर सिंह नेहरो)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर